

कार्यालय प्रमुख अभियंता  
लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग  
मध्यप्रदेश भोपाल

क्रमांक H296/03/कय-(सामान्य)/प्र0अ0/लोस्वायांवि0/2013/  
परिपत्र

24/4/13  
भोपाल, दिनांक

**विषय:-** निर्माण कार्यों में प्राथमिक उत्पादकों का स्टील/सरिया(Reinforcement Steel) उपयोग में लाने के संबंध में ।

प्रायः यह देखा गया है कि स्थानीय/क्षेत्रीय उत्पादकों द्वारा निर्मित Re-rolled स्टील/सरिया (Reinforcement Steel) के उपयोग से निर्माण कार्यों की गुणवत्ता एवं आयु पर विपरीत प्रभाव पड़ता है ।

BIS 1786: 2008 के Clause संख्या 1.6 के अनुसार" Deformed bars produced by rerolling finished products such as plates and rails ( virgin or used or scrap), or by rolling material for which the metallurgical history is not fully documented or not known, are not acceptable as per the Indian Standard"

अतः यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि वर्तमान में निर्माणाधीन व भविष्य में निर्मित होने वाले समस्त वाटर रिटेनिंग स्ट्रक्चर के निर्माण कार्यों जैसे-इन्टेकवेल, ट्रीटमेंट प्लांट, उच्च स्तरीय टंकी आदि में केवल प्राथमिक उत्पादकों का स्टील/सरिया (Reinforcement Steel) ही उपयोग में लिया जावे ।

निम्नलिखित Reinforcement Steel Manufacturers, जिन्हे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण(National Highway Authority of India) द्वारा मान्यता प्राप्त है, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग म.प्र. द्वारा सम्पादित कराए जाने वाले निर्माण कार्यों हेतु भी मान्य समझा जाए ।

1. SAIL ( Steel Authority of India Ltd.)
2. RINL( Rashtriya Ispaat Nigam Ltd.)
3. Tata Steel
4. Shyam Steel Industries Ltd.

इस संबंध में विभाग के समस्त उक्त निर्माण कार्यों की निविदा/अनुबंध आदि में सम्मिलित की जाने वाली तकनीकी शर्तों में निम्नानुसार उल्लेख किया जावे ।

"Reinforcing Steel shall be procured only from **Primary Steel Producers** having integrated plant with manufacturing process duly recognised by ministry of steel or their authorized agents. No re-rolled steel be permitted in PHED.M.P.works. All other specifications and guidelines of BIS: 1786 shall be complied")

H296  
पू0क्रमांक प्रतिलिपि:- /03/कय-(सामान्य)/प्र0अ0/लोस्वायांवि0/2013/

(एन.के.सेहरा)  
प्रमुख अभियंता  
भोपाल, दिनांक 24/4/13

1. मुख्य अभियंता, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग परिक्षेत्र-भोपाल/इंदौर/जबलपुर/ग्वालियर एवं वि./यां.भोपाल ।
2. अधीक्षण यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंडल..... (म.प्र.) ।
3. कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी खंड..... (म.प्र.) ।  
की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित ।

प्रमुख अभियंता